ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ण सख्या : 4/2018

1. देवकरण
2. सत्यनारायण
3. बाबूलाल
4. रमेश चन्द्रं

} पुत्रान श्री कृष्ण जाति महाजन निवासी मऊ तह0 मांगरोल जिला बारां

....प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

दायरा दिनांकः 28.03.2018 निर्णय दिनांक : 28.03.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण कमशः देवकरण, सत्यनारायण, बाबूलाल, रमेशचन्द्र पिसरान श्रीकृष्ण ब्राहमण निवासी मऊ तह0 मांगरोल द्वारा दिनांक 28.03.2018 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मांगरोल लैण्ड होल्डर का इस आशय का दिया कि ग्राम रेनगढ की हाल जमाबंदी खाता संख्या 93 सम्वत 2072-75 में जो भूमि आराजी खसरा नं0 9 रकबा 1.92 है0 नहरी में खातेदारो के नाम कमशः रामप्रताप पुत्र गोरू हिस्सा 1/3, देवकरण, सत्यनारायण पिसरान धूलीलाल हिस्सा 1/3 हिस्सा बराबर बाबूलाल, रमेशचन्द्र पिसरान गोपाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राहमण सा0 बमूलिया तह0 अंता अंकित है।

जबकि सही नाम रामप्रताप पुत्र गोरू हिस्सा 1/3 देवकरण, बाबूलाल पिसरान श्रीकृष्ण ब्राहमण सा0 लुहावद हिस्सा 1/3 एवं रमेश चन्द्र सत्यनारायण पिसरान श्रीकृष्ण ब्राहमण सा0 मऊ तह0 मांगरोल हिस्सा 1/3 होना चाहिए उक्त वादीगण के असल में धूलीलाल, गोपाल नाना थें जिनकी गोद नशीनी से ये भूमि उनके नाम आयी थी। असल्व में उनके पिता श्रीकृष्ण ब्राहमण थें जो धूलीलाल, गोपाल के दामाद थें और पुत्र नही होने से उनके नाम भूमि आयी। प्रार्थना पत्र के साथ-साथ आवेदको ने स्व प्रमाणित आईडी, आधार कार्ड एवं फोटो पहचान पत्र की प्रति पंचायत मऊ का प्रमाण पत्र भी इसकी पुष्टि में दिया।

इस पर तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) ने पटवारी आईएलआर बमोरीकलां को वास्ते जांच प्रार्थना पत्र को भेजा। जिस पर पटवारी हल्का बमोरी, भू0 अभिलेख निरीक्षक बमोरीकलां ने एवं तथनुसार तहसीलदार मांगरोल लैण्डहोल्डर ने अपने पत्र कमांक 1329/भू0अभि0/ दिनांक 28.03.2018 से आवेदक ग्रामो की गलत वल्दियत, धूलीलाल एवं गोपाल एवं गलत निवास स्थान बमूलिया कलां तह0 अंता को

कर सही वल्दियत श्रीकृष्ण एवं देवकरण व बाबूलाल का लुहावद एवं रमेशचन्द्र, सत्यनारायण का निवास स्थान मऊ अंकित करने के आदेश फरमाने की अनुशंषा की है। किसी का भी ऐतराज होना नही पाया गया। मौके पर भी आवेदको का कब्जा है।

प्रार्थना पत्र लैण्ड होल्डर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उक्त असल प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजात, नकल जमाबंदी, आईडी एवं सरपंच ग्राम पचायत मऊ का प्रमाण पत्र रिपोर्ट पटवारी आई एल आर एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) का भली प्रकार अध्ययन एवं मनन किया। तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि ग्राम रेनगढ की जमाबंदी सम्वत 2072--75 के खाता संख्या 93 में वर्तमान पृविष्टी राम प्रताप पुत्र गोरू हिस्सा 1/3, देवकरण, सत्यनारायण पिसरान धूलीलाल 1/3 हिस्सा बराबर, बाबूलाल, रमेशचन्द्र पिसरान गोपाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राहमण सा0 बनूलिया तह0 अंता को हजफ कर सही नाम रामप्रताप पुत्र गोरू हिस्सा 1/3 देवकरण, बाबूलाल पिसरान श्रीकृष्ण ब्राहमण सा0 लुहावद हिस्सा 1/3 ब0 हिस्सा बराबर रमेशचन्द्र, सत्यनारायण पिसरान श्रीकृष्ण ब्राहमण सा0 मऊ तहसील मांगरोल हिस्सा 1/3 व हिस्सा बराबर खातेदार" खातेदार अंकित करने की आज्ञा प्रदान की जाती है। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार मांगरोल को लिखा जाकर पालना 15 दिवस में मांगवायी जाकर पत्रावली फैशल शुमार बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया